

अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

(लेखक-प्रह्लाद सबनानी)

स्वामी विवेकानन्द के इस विचार को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर ने व्यवहार में बदल दिया। उनका मानना था कि हिंदुओं को एक ऐसे कार्य दर्शन की आवश्यकता है जो इतिहास और संस्कृति पर आधारित हो, जो उनके अतीत का हिस्सा हो और जिसके बारे में उन्हें कुछ जानकारी हो। संघ की शाखाएँ 'स्व' के भाव को परिशुद्ध कर उसे एक बड़े सामाजिक और राष्ट्रीय हित की भावना में मिला देती हैं। वस्तुतः यह कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र करने व हिंदू समाज, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा कर राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने के उद्देश्य से डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना की। आज संघ का केवल एक ही ध्येय है कि भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों एवं भारतीय समाज के लिए संघ के अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करना एक गर्व का विषय हो सकता है। संघ के स्वयंसेवक समाज में अपना सेवा कार्य पूरी प्रामाणिकता से बहुत ही शातिपूर्वक तरीके से करते रहते हैं। वरना, भारत सहित पूरे विश्व में आज ऐसा माहौल बन गया है कि कुछ संगठन जो समाज में सेवा कार्य करते तो बहुत थोड़ा है परंतु उस कार्य का बहुत अधिक प्रचार प्रसार करते हैं। इसके ठीक विपरीत संघ के स्वयंसेवक चुपचाप समाज में अपने इश्वरीय कार्य को सम्पादित करते रहते हैं, कई बार तो संघ के पदधिकारियों को भी इस बात का आभास नहीं हो पाता है कि हमारे संघ के स्वयंसेवकों ने समाज में कोई विशेष सेवा कार्य सम्पन्न किया है। दरअसल, संघ के स्वयंसेवकों को यह संस्कार संघ की शाखा में प्रदान किए जाते हैं। और, इसी प्रकार की कई अन्य विशेषताओं के बलते, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे विश्व में सबसे बड़ा सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठन कहा जाने लगा है।

भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शायद ही कोई ऐसा संसंगठन रहा होगा जो अपनी स्थापना के समय से ही निर्धारित किए गए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर लगातार सफलतापूर्वक आगे बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना उस समय हुई थी, जब अंग्रेजों की दासता में भारतीय संस्कृति का सर्वनाश हो रहा था। इससे व्यथित होकर डॉक्टर केशव बलिराम हैडे डगे वार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना विजयादशमी के पावन अवसर पर वर्ष 1925 में की थी। मार्च 2024 में संघ की नागपुर में आयोजित प्रतिनिधि सभा में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 922 जिलों, 6597 खंडों एवं 27,720 मंडलों में 73,117 दैनिक शाखाएं हैं, प्रत्येक मंडल में 12 से 15 गांव शामिल हैं। समाज के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में संघ की प्रेरणा से 40 से अधिक विभिन्न संगठन अपना कार्य कर रहे हैं जो राष्ट्र निर्माण तथा हिंदू समाज को संगठित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। देश

में राजनीतिक कारणों के चलते संघ पर तीन बार प्रतिवृद्ध भी लगाया गया है – वर्ष 1948, वर्ष 1975 एवं वर्ष 1992 में – परंतु तीनों ही बार संघ पहिले से भी अधिक सशक्त होकर भारतीय समाज के बीच उभरा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फ़हिंदूक शब्द की व्याख्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में करता है जो किसी भी तरह से (पश्चिमी) धार्मिक अवधारणा के समान नहीं है। इसकी विचारधारा और मिशन का जीवंत सम्बन्ध स्वामी विवेकानंद, महार्घ अरविंद, बाल गंगाधर तिलक और बी सी पाल जैसे हिंदू विचारकों के दर्शन से है। विवेकानंद ने यह महसूस किया था कि 'एक सही अर्थों में हिंदू संगठन अत्यंत आवश्यक है जो हिंदुओं को परस्पर सहयोग और सराहना का भाव सिखाए'। स्वामी विवेकानंद के इस विचार को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने व्यवहार में बदल दिया। उनका मानना था कि हिंदुओं को एक ऐसे कार्य दर्शन की आवश्यकता है जो इतिहास और संस्कृति पर आधारित हो, जो उनके अतीत का हिस्सा हो और जिसके बारे में उन्हें कुछ जानकारी हो। संघ की शाखाएं फ़खरक के भाव को परिशुद्ध कर उसे एक बड़े सामाजिक और राष्ट्रीय हित की भावना में मिला देती हैं। वस्तुतः यह कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र करने व हिंदू समाज, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा कर राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने के उद्देश्य से डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना की। आज संघ का केवल एक ही ध्येय है कि भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना।

संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी की दृष्टि हिंदू संस्कृति के बारे में बहुत स्पष्ट थी एवं वे इसे भारत में पुनः प्रतिष्ठित करना चाहते थे। डॉक्टर साहब के अनुसार, 'हिंदू संस्कृति हिंदुस्तान का प्राण है। अतएव हिंदुस्तान का संरक्षण करना हो तो हिंदू संस्कृति का संरक्षण करना हमारा पहला कर्तव्य हो जाता है। हिंदुस्तान की हिंदू संस्कृति ही नष्ट होने वाली हो तो, हिंदू समाज का नामोनिशान हिंदुस्तान से मिटने वाला हो, तो फिर शेष जमीन के टुकड़े को हिंदुस्तान या हिंदू राष्ट्र कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि राष्ट्र जमीन के टुकड़े का नाम तो नहीं है ज्यह बात एकदम सत्य है। फिर भी हिंदू धर्म तथा हिंदू

संस्कृति की सुरक्षा एवं प्रतिदिन विधिमयों द्वारा हिंदू समाज पर हो रहे विनाशकरी हमलों को कांग्रेस द्वारा दुरलक्षित किया जा रहा है, इसलिए इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवश्यकता है।¹⁵

जिस खंडकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी वह मुस्लिम तुषिकरण का काल था। वर्ष 1920 में देश में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। मुसलमानों का नेतृत्व मुल्ला-मौलियों के हाथों में था। इस खंडकाल में मुसलमानों ने देश में अनेक दंगे किए। केरल में मोपला मुसलमानों ने विद्रोह किया। उसमें हजारों हिंदू मारे गए। मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण के कारण हिंडुओं में अत्यंत असुरक्षिता की भावना फैली थी। हिंदू संगठित हुए बिना मुस्लिम आक्रांताओं के सामने टिक नहीं सकेंगे, यह विचार अनेक लोगों ने प्रस्तुत किया और इस प्रकार हिंदू हितों के रक्षार्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। संघ के प्रयासों से भारत में विस्मृत राष्ट्रभाव का पुनर्जागरण प्रारम्भ हुआ।

स्वामी विवेकानन्द ने देवात के आधार पर सावधानीकृत हिंदुत्व का प्रचार किया। अधुनिक भारत के अंतरराष्ट्रीय शंकराचार्य के रूप में उन्हें प्रतिष्ठित किया जा सकता है। उनके प्रयासों से हिंदू धर्म का न केवल उद्धार हुआ, अपतीव हिंदू समाज को उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मर्च पर प्रतिष्ठित भी किया। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, राजनारायण बोस, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, योगी अरविंद, डॉक्टर केशव बलिराम हेड्गेवार जैसे हिंदू हितवितकों ने विश्व के समक्ष यह संदेश दिया कि हिंदुस्तान में राष्ट्रीय एकता का आधार हिंदू धर्म है और स्वयं हिंदू एक धर्म प्रधान एवं प्रकृति के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधार जीवन पद्धति है। पश्चिमी देशों में जीवन के लक्ष्य का सदैव अभाव रहा है। भौतिक सुख-समृद्धि ही जीवन का मानक बन गया था। इसलिए पश्चिमी देश असंवेदनशील हो गए थे। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद जैसी वैचारिकी इस भौतिकवादी पृष्ठभूमि की उपज रही है। भौतिकता की अंधी दौड़ ने अंततः नाजीवादी, फासीवाद एवं साम्यवाद जैसे विचारों को जन्म देकर पश्चिमी देशों को महायुद्धों की विनाशलीला में झोका दिया था। स्वामी विवेकानन्द जैसे हिंदू वित्तकों द्वारा पश्चिमी

देशों में हिन्दुत्व के आदर्शों को प्रस्थापित कर उन्हें अंधकार से अलग करने का प्रयास किया गया था। हिन्दू आदर्शों का यदि अनुपालन किया जाता तो सम्बवन्-मानवीय विनाश के उन दृश्यों को रोका जा सकता था जो विश्व मानव की छाती पर एक भीषण घटित दुर्घटना के चोट के चिन्ह रूप में विद्यमान है। स्वामी विवेकानन्द ने जीवन जीने के लक्ष्य एवं मानव संस्कृति के मूल रहस्यों को पश्चिमी समाज के समक्ष उद्घाटित किया था। स्वामी विवेकानन्द के प्रयासों से पश्चिमी समाज में हिन्दुत्व के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ था और लोग हिन्दू संस्कृति के मूल रहस्यों को जानने के लिए आकर्षित हुए। स्वामी विवेकानन्द को हिन्दू राष्ट्रीयता का विश्व में प्रथम उद्घोषक कहा जा सकता है। उन्होंने विश्व के समक्ष भारत की मूल्यवान आध्यात्मिक धरोहर को प्रतिष्ठित किया तथा हिन्दू धर्म के मूल रहस्यों से विश्व को अवगत कराया। स्वामी रामतीर्थ, महर्षि दयानन्द, डॉक्टर केशव बलिराम हेडेगेवर, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, एम एस गोलवलकर, दीनदयाल उपाध्याय, दत्तोपांत टेंगद्वी जैसे चिंतकों ने हिन्दुओं को चिंतन की एक नयी शैली एवं विधा से सुसज्जित कर हिन्दुत्व के पुनरुत्थान का सार्थक प्रयास किया। उक्त हिन्दू चिंतकों ने विश्व समुदाय में हिन्दुत्व के प्रति फैले भ्रम को न केवल दूर करने का प्रयास किया, अपितु हिन्दुस्तान में सनातन संस्कृति के प्रति जो वैष्णवतापूर्ण विचारधाराएं बलवती हो रही थीं उन्हें भी प्रतिबन्धित करने का प्रयास किया। इन विचारकों ने सामाजिक समरसता ख्यापित करने के लिए उन समस्त कुरीतियों को दूर करने का आङ्गन भी किया।

मुगलकाल एवं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हिन्दू लोक जीवन विखंडित हो गया था।

हिन्दू धर्म के मूल रहस्यों से अनभिज्ञ आक्रांताओं ने न केवल वैयक्तिक अधिकारों का हनन किया अपितु हिन्दू धर्म के मूल ग्रंथों को भी नष्ट कर दिया। 1000 वर्षों तक सनातन संस्कृति विधिमियों के प्रहार को झेलती ही लगभग मृतप्राय बना दी गई थी। अब आवश्यकता है कि मूल्य परक हिन्दू जीवन पद्धति जिससे न केवल मानव अपितु प्रकृति एवं जीव-जन्म जगत का भी उत्थान सम्भव है, उसे पुनः प्रतिष्ठित किया जाए।

जीवन की सुरक्षा और स्वतंग्रता का अतिक्रमण

निगरानी की तार्किकता

डॉ. रिपुदमन गुलाटी

डिजिटल युग के आगमन ने अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति का युग शुरू किया है, जिससे हमारे रहने, काम करने और बातचीत करने के तरीके बदल गए हैं। जबकि ये नवाचार कई लाभ लाए हैं, इन्होंने गोपनीयता, नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के क्षण के बारे में भी गंभीर चिंताएं उठाई हैं। लेकिन निगरानी का बढ़ता सिलसिला हमारी आधुनिक दुनिया का एक अभिन्न अंग बन गया है। निगरानी, जो कभी केवल कानून प्रवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा तक सीमित थी, ने अब ऑनलाइन व्यवहार की ट्रैकिंग करने से लेकर भौतिक आदोलनों की निगरानी तक कई प्रकार की गतिविधियों को शामिल करने के लिए विस्तार किया है। सरकारें, कार्पोरेट और यहाँ तक कि व्यक्ति अब हमारे जीवन के बारे में बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र कर सकता है, जिससे हमारे गोपनीयता के अधिकार की सीमा और दुर्व्यवहार की सभावना के बारे में प्रश्न उठते हैं। निगरानी कैमरे अब सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और स्टोरों से लेकर सरकारी भवनों तक में आम हो गए हैं। निन्सदेह, ये कैमरे अपराध को रोक सकते हैं और जांच में सहायता कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से व्यक्तियों की निगरानी किस हद तक की जानी चाहिए, इसके बारे में भी प्रश्न उठाते हैं। ये हरी की पहचान प्रौद्योगिकी हाल के वर्षों में तेजी से विकसित हुई है, जिससे अधिकारियों को वास्तविक समय में व्यक्तियों की पहचान करने में सक्षम बनाया गया है। जबकि यह तकनीक कानून प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए उपयोगी हो सकती है, इसने इसके दुरुपयोग की आशंका को भी बढ़ाया है। अध्ययन से पता चला है कि ये हरे की पहचान के एल्गोरिदम कुछ जनसारियों के खिलाफ पक्षपाती हो सकते हैं, विशेष रूप से रंग के लोगों के

खिलाफ। यह पूर्वग्रह भेदभावपूर्ण परिणामों में ले जा सकता है, जैसे गलत पिरफ्टारी या निरोध। सार्वजनिक स्थानों में घोरे की पहचान प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग बढ़े पैमाने पर निगरानी और गोपनीयता के क्षण के बारे में चिंताएं उठाता है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि निगरानी कैमरों का प्रसार एक 'पैनोटिकन प्रभाव' पैदा करता है, जहां व्यक्ति लगातार देखा जाना और निगरानी महसूस करते हैं, जिससे अभियक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। निगरानी फुटेज का भंडारण और प्रतिधारण डेटा गोपनीयता और व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग की संभावना के बारे में चिंताएं उठाता है। पैनोटिकन प्रभाव एक सामाजिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि जब लोग लगातार निगरानी में महसूस करते हैं, तो वे अपने व्यवहार को बदलने और अधिक अनुपालन करने की अधिक संभावना रखते हैं। यह शब्द जेरमी बैथम द्वारा डिजाइन किए गए एक काल्पनिक जेल से लिया गया है, जहां एक केंद्रीय गार्ड टॉवर से सभी कैदियों को देख सकता था, जबकि कैदियों को यह नहीं पता था कि वे देखे जा रहे हैं या नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार, जब लोग सोचते हैं कि वे निगरानी में हैं, तो वे अपने व्यवहार को समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए दबाव महसूस करते हैं। यह प्रभाव सत्ता के एक नये रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह लोगों को नियन्त्रित करने और उनके व्यवहार को बदलने के लिए उपयोग किया जा सकता है। निगरानी के लाभ निर्विवाद हैं। इसने अपराध, आतंकवाद और सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्भाई है। निगरानी प्रणालियों ने अपराधियों की पहचान करने, हमलों को रोकने और बीमारियों के प्रसार को ट्रैक करने में मदद की है। इसके अलावा, उन्होंने ट्रैफिक प्रवाह में सुधार, संसाधन आवंटन का अनुकूलन और सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने में योगदान दिया है। हालांकि, निगरानी के संभावित नुकसान भी उतने ही घातक हैं। व्यक्तिगत डेटा का बढ़े पैमाने पर

संग्रह रखना, मुक्त भाषण, संगति और असंतोष पर एक गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह एक निगरानी समाज भी बना सकता है जहां व्यक्ति लगातार निगरानी महसूस करते हैं और अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता में प्रतिबद्धित महसूस करते हैं। इसके अलावा, निगरानी का उपयोग भेदभावपूर्ण या दमनकारी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, विशेष रूप से हाशिए के समूहों के खिलाफ। हाल के वर्षों में निगरानी के सबसे विगदास्पद पहलुओं में से एक सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर निगरानी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन रहा है। इन कार्यक्रमों में फोन कॉल, ईमेल और इंटरनेट खोज जैसे व्यक्तिगत डेटा का व्यापक संग्रह और विश्लेषण शामिल है। जबकि समर्थक तर्क देते हैं कि ऐसे कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, लेकिन यह नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए खतरा भी है। निगरानी के लाभों और हानियों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए, स्पष्ट और लागू होने योग्य गोपनीयता कानून स्थापित करना आवश्यक है। इन कानूनों को निगरानी की सीमाओं को परिभाषित करना चाहिए, व्यक्तियों के गोपनीयता के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डेटा का संग्रह और उपयोग नैतिक रूप से किया जाता है। सरकारों को भी अपनी निगरानी गतिविधियों के बारे में पारदर्शी होना चाहिए। सत्ता के दुरुपयोग और निरंकुशता को रोकने के लिए निरीक्षण के अधीन होना चाहिए। कानूनी ढाँचे के अलावा, गोपनीयता जागरूकता और शिक्षा की संरक्षित को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। व्यक्तियों को अपने अधिकारों को समझने और अपनी गोपनीयता की रक्षा के लिए कदम उठाने के लिए सशक्त होना चाहिए। इसमें अपनी ऑनलाइन गतिविधियों के प्रति सचेत रहना, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के बारे में सावधान रहना शामिल है। निःसंदेह, निगरानी के युग में जीवन और स्वतंत्रता को संतुलित करना एक जटिल चुनौती है।

(चिंतन-मनन)

ਗੁਰ ਤਲਵ ਕਾ ਸਮਾਨ

जब भी तुमने बदले में किसी आशा के बिना किसी के किए कुछ भी किया हो, किसी को कोई सलाह दी हो, लोगों का मार्गदर्शन किया हो, उन्हें प्रेम दिया हो और उनकी देख-भाल की हो, तब तुमने गुरु की भूमिका निभाई है। गुरु तत्व सम्मान करने की ओर विश्वास करने की चीज है। तुम्हारे आस पास कितने लोग हैं जो सब के मूड़, भावनाओं और दोषारापण के बीच अटके हुए हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास गुरु हैं तो तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अगर पड़ेगा भी तो वह कूह मिनटों से ज्यादा टिकने वाला नहीं। जब व्यक्ति गुरु तत्व के इस सिद्धांत के साथ चलता है, तब सभी सीमाएं गिर जाती हैं और वह आस पास के सभी व्यक्तियों और सारे ब्रह्मांड के साथ एक होने का दृष्टिभूक्त होता है। तब यह तत्त्व प्रकट होता है कि द्वात् प्राप्त

हो जाता है और आत्म-ग्लानि के लिए कोई स्थान नहीं रहता। अगर तुम्हारे भीतर आत्म-ग्लानि है, तो इसका अर्थ है अपी तक तुम गुरु तक आए नहीं हो। गुरु तक आने का अर्थ है श्रद्धा होना कि गुरु हमेसा हमारे साथ है। इसका अर्थ है हमें जो भी चाहिए वो होगा और हमें रास्ता दिखाया जाएगा। जीवन में शाति सुनिश्चित करने के सबसे अच्छे रास्ता साधना, सत्संग, आत्म-चिंतन और भक्ति द्वारा गुरु के निकट रहना है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि तुममें आध्यात्मिकता मजबूत हो। हालांकि जब तुम शारीरिक रूप से गुरु के निकट नहीं हो पाते, तब भी मन और आत्मा से तुम गुरु के निकट हो सकते हो। जब व्याकुलता बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तब समर्पण में आपस मार्गे। पहले आर्द्धशत के उपर्याप्त कर ले। पहले करो ताके तो

शारीरिक रूप और व्यक्तित्व से परे देखो। इंधर, आत्मा और गुरु में कोई अंतर नहीं है। गुरु तुम्हारे असली स्वभाव का ही प्रतिबिम्ब है और तुम्हें आत्मा में वापस अग्रसर करने के लिए मार्गदर्शक है। अपनी लगन, श्रद्धा और वचनबद्धता से तुम स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जिस पल तुम गुरु को गुरु मान लेते हो, उनके सभी गुण प्राप्त करना संभव हो जाता है। एक बार जब गुरु उपाय बन जाते हैं, तुम जीवन में कभी पराजित नहीं होते। गुरु के लिए भक्ति काफी है। गुरु यहां तुम्हारे लिए हैं और तुम्हारे अच्छे और बुरे समय के दौरान तुम्हारे साथ हैं। तुम अकेले नहीं हो तो गुरु को ढूँढ़ निकालो और स्वाभाविक रूप से जियो और प्रेम और आनंद में उपस्थिति पायें।

भारत की ज़ेलों में 76 फ़ीसदी विचाराधीन कैदी वर्षों से बंद

(लेखक-सनत जैन)

- गरीबों को नहीं मिलती जल्द जमानत

भारत की जेलों में कैदियों की स्थिति चिंता का विषय है। हाल ही में जो आंकड़े आये हैं, उसमें भारत की जेलों में 76 फीसदी ऐसे कैदी बद हैं, जिन पर कोई अपराध साबित नहीं हुआ है। आरोप के आधार पर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। यह कैदी बिना किसी दोष सिद्धि के जेलों में कई वर्षों से बंद हैं। भारतीय न्यायिक और कानूनी प्रणाली की खामियों की चर्चा अब विश्व स्तर पर होने लगी है। भारत में न्यायिक प्रणाली की धीमी गति, जांच में भारी विलंब, न्यायालय में विलंब से मुकदमा पेश होना, न्यायालयों में मामलों की सुनवाई और निपटारे में देरी, जमानत देने पर

ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट की उदासीनता के कारण भारत की जेलों में लाखों लोग कई वर्षों से बंद हैं। भारत के नागरिकों को संवैधानिक मौलिक अधिकार मिले हैं। उनका भारत में कानूनी रूप से उलंघन हो रहा है। भारत की जेलों में बंद अधिकांश के दी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आते हैं, जिनके पास वकील करने या जमानत राशि भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में देरी का खामियाजा निर्धन एवं गरीब मध्यम वर्ग के कैदियों को भुगतना पड़ता है। सविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकारों का खुलेआम उलंघन भारत में हो रहा है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में मानव अधिकार के मामले में लगातार रैंकिंग घटती चली जा रही है। ऐसे कैदी, जो वर्षों से जेल में

बंद हैं उनकी सुनवाई ट्रायल कोर्ट में भी पूरी नहीं हुई है। ट्रायल कोर्ट से उन्हें जमानत भी नहीं दी गई है। जेलों में बंद कैदियों के ऊपर दोष साखित नहीं हुआ है। इसके बाद भी जेलों में उन्हें वर्षों तक बंद रखना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का खुला हनन है। न्यायपालिका स्वयं नागरिकों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दे रही है। जिसके कारण अब कहा जा रहा है कि भारत की न्याय प्रणाली में अब सुधार की आवश्यकता है। भारत में सबसे पहले, जमानत प्रणाली को सरल और सुलभ बनाने की जरूरत है। ताकि गरीब और कमज़ोर वर्गों को इसका लाभ मिल सके। जिन मामलों में भंगीर अपराध के आरोप नहीं हैं, उनमें तुरत जमानत दिए जाने पर विचार होना चाहिए। जमानत को नागरिकों के

भिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। जांच
जैसी द्वारा एक निश्चित समय सीमा पर जांच
करने की बाध्यता हो। निश्चित समय पर
यायालय में चार्ज शीट पेश हो। अदालतों की
क्रिया में तेजी लाने के लिए अदालतों की
में खंड्या बढ़ाई जानी चाहिए। फास्ट ट्रैक
मदालतों स्थापित करके छोटे और गैर-गंभीर
मामलों का त्वरित निपटारा किया जाना
चाहिए। जेल सही मायने में सजायासा कैदियों
के लिए होती है। या उन अपराधियों के लिए
जो समाज के लिए बेहद खतरनाक
होते हैं। जेलों की स्थिति में सुधार लाने के
लिए प्रशासनिक स्तर पर भी प्रयास जरूरी
है। जेलों में बंद कैदियों के लिए उचित
विकल्प, भोजन, मानसिक एवं स्वास्थ्य
वेताओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी

है। भारत के जेलों की प्रशासनिक स्थान बहुत खराब है। यहां पर क्षमता से न गुना ज्यादा कैदी जेलों में बंद हैं। इन्हें खाना और प्राकृतिक जरूरतों को पूरा नहीं करने के लिए जेल के अंदर जद्वा-जेहद नीनी पड़ती है। कैदियों को जेल में पुनर्वास और कौशल विकास के अवसर नहीं मिल रहे जिसके कारण जेल से बाहर निकलकर समाज और परिवार में फिर से अपनी जगह बना सकें। जेलों को केवल सजा देने स्थान नहीं माना जाना चाहिए। जेलों को बाहर केंद्र के रूप में देखा जाना चाहिए। कैदियों के अधिकारों की रक्षा करना और न्याय दिलाने की प्रक्रिया को तेज करना, य व्यवस्था और मानवाधिकार दोनों के आवश्यक हैं। जब तक न्यायिक प्रणाली

सुधार नहीं किया जाता। भारत में मानव धिकारों की रक्षा करना संभव ही नहीं है। इंटरेट जैसे देश में बिचाराधीन कैदियों की ख्या मात्र 18 फ़िसदी है। इंग्लैण्ड और यूरोप में अदालतों द्वारा जमानत के मामले में विशेष नियम से ध्यान दिया जाता है। यदि आरोपी को जमानत देने से समाज के बीच में कोई खतरा हो। ऐसे आरोपियों को तुरंत न्यायालय द्वारा जमानत दी जाती है। इंग्लैण्ड और यूरोप की अदालतों में सुनवाई की प्रक्रिया निर्धारित समय पर पूरी की जाती है। वहां की जांच जैसियाँ समय पर जांच करके न्यायालय में मामला प्रस्तुत करती हैं। भारत में जब अंग्रेजों ने शासन था, तब भी यहां विचाराधीन कैदियों को 90 दिन से ज्यादा जेल में रखने का वधान नहीं था।

**टमाटर अत्यंत ही
लोकप्रिय तथा
पोषक तत्वों से युक्त
फलदार सब्जी है।
जिसका उपयोग
साल भर किया जाता
है। सब्जी के अलावा
उससे सूप, घटनी,
सलाद, आदि के
रूप में भी उपयोग
किया जाता है।
विटामिन व अन्य
खाद्य पदार्थ उपयुक्त
मात्रा में पाये जाते हैं।**

टमाटर की उन्नत कृषि कार्यमाला



बोना चाहिए। बीज कतारों में बोना चाहिए।

① बीजोपचार :- बीज को बोने से पूर्व थायरम या बाविस्टिन से 2 ग्राम/ किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए।

② बुआई का समय :- खरीफ- जून-जुलाई, शीत -अक्टूबर- नवम्बर

③ रोपण :- व्यारियों में जब पौधे 4 से 5 सप्ताह के हो जाएं या 7 से 10 सें.मी. के हो जाएं तब खेत में रोपित करना चाहिए। पौधे रोपण के पश्चात् तुरन्त हल्की सिंचाई करनी चाहिए। एक स्थान पर एक ही पौधा लगाएं।

④ पौधे अन्तरण:- कतार से कतार की दूरी 75 सें.मी. एवं पौधे से पौधे की दूरी 60 सें.मी. रखना चाहिए।

⑤ उर्वरक की मात्रा :- गोबर खाद 200 किंवद्दन प्रति हेक्टेएर भूमि की तैयारी के समय मिलाना चाहिए। यूरिया 217 किलो प्रति हेक्टेएर, तीन भागों में देना चाहिए। पहला भाग, पौधे रोपण के समय तथा दूसरा भाग एवं तीसरा भाग 30 दिन के अन्तर से देना चाहिए। एस.एस.पी. 500 किलो/ हेक्टेएर व पोटाश 100 किलो प्रति हेक्टेएर पौधे रोपण के समय देना चाहिए।

⑥ सिंचाई :- टमाटर में अधिक तथा कम सिंचाई दोनों ही हानिकारक हैं। शरद ऋतु में 10 से 12 दिन के अन्तर तथा गर्मी में 4-5 दिन के अन्तर में भूमि के अनुसार सिंचाई की जा सकती है।

⑦ निंदाई गुड़ाई :- टमाटर की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए नियंत्रण निंदाई-गुड़ाई करते रहना आवश्यक है। गुड़ाई उथली करनी चाहिए जिससे जड़ों को नुकसान न पहुंचे। 30-40 दिन बाद पौधों

पर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए।

⑧ वृद्धि नियामकों का प्रयोग :- वृद्धि नियामकों का प्रयोग फूलों को झड़ने से रोकने तथा बिना नियंत्रण के फूलों को विकास के लिए पौधोंगी सिद्ध हुआ है। पी. सी.पी.ए. 50-100 पी. पी. एम. (50-100 मि.ग्रा./ लीटर पानी में घोलना है) के थोल का छिड़काव लाभकारी होता है।

⑨ सहारा देना :- ऊर्चाई व मध्यम ऊर्चाई वाली किस्मों को पेड़ की टहनियां (बांस) की सहायता से सहारा देना चाहिए, ऐसा करने से पौधे की वृद्धि अच्छी होती है, वर्षा ऋतु में फल तथा पेड़ सड़े नहीं हैं। फलों का आकार बढ़ जाता है तथा पैदावार भी अधिक होती है।

⑩ फलों की तुड़ाई :- टमाटर के फसल की तुड़ाई कई अवस्थाओं में की जाती है-

⑪ कच्चे या हरे फल :- टमाटर को अधिक हरे से गुलाबी पड़ने पर तब तोड़ा जाता है जब इस दूर स्थित बाजारों में विपणन हेतु भेजना होता है।

⑫ गुलाबी या हल्के लाल फल:- टमाटर को गुलाबी या हल्के लाल होने की अवस्था में तब तोड़ा जाता है जब इसे स्थानीय बाजारों में भेजना होता है।

⑬ पके हुए टमाटर :- फलों का अधिकतम भाग लाल होता है व नरम होता है ऐसे फल घरेलू उपयोग या कच्चे सलाद खाने के काम आते हैं।

⑭ अधिक पके टमाटर :- बीज उत्पादन के लिए लाल फल आर्द्ध माने जाते हैं। फल परीक्षण के लिए भी अधिक पके टमाटर अच्छे माने जाते हैं।

गोभीवर्गीय में पोषक तत्वों की आवश्यकता

① भूगोपन या ब्राउनिंग - यह समस्या गोभीवर्गीय फसलों में बोरान की कमी से होता है।

② लक्षण - भूगोपन में शुरूआत में फूल में जल अवशेषित धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि बाद में बड़े हो जाते हैं। इसके बाद तने में भी जल अवशेषित धब्बे पड़ते हैं तथा तना अंदर से खोखला हो जाता है। यदि भूगोपन का प्रक्रोप ज्यादा होता है तो पूरा फूल में कुछ दिन बाद गुलाबी या भूंगे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं।

③ उपचार - बोरान की कमी को दूर करने के लिये 10-15 किलो बोरेक्स प्रति हेक्टर भूमि में पौधे रोपण के समय देना चाहिए अथवा जब फसल खड़ी हो 0.1 प्रतिशत बोरेक्स घोल का छिड़काव करना चाहिए प्रथम छिड़काव पौधे रोपण के दो सप्ताह पश्चात और दूसरा छिड़काव फूल बनने से दो सप्ताह पहले करना चाहिए।

④ छिपटेल - यह लक्षण गोभीवर्गीय फसलों में मालीबिडनम नामक तत्व की कमी के कारण होता है।

⑤ लक्षण - मुख्यतः मालीबिडनम की कमी अस्तीय भूमि में हो जाती है अर्थात् मालीबिडनम अनुपलब्ध रूप से हो जाता है, जिससे पौधे इस तत्व का अवशोषण नहीं कर पाते और छिपटेल के लक्षण दिखाई देते हैं, इसमें शुरूआत में पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पत्तियाँ सिकुड़ कर सफेद पड़ने लगती हैं तथा कुछ दिन बाद पत्तियाँ अपना आकार खो देती हैं और मिडिरिक के अलावा शेष भाग सूख जाता है, जिसके कारण इसे सामान्यतः छिपटेल कहा जाता है।

⑥ उपचार - मालीबिडनम की कमी को दूर करने के लिए अस्तीय काम करने के उद्देश्य से



50-70 विंटल बुझा चूना प्रति हेक्टर खेत की तैयारी के समय भूमि में मिला देना चाहिए। इसके साथ ही पौधे रोपण के लिये 2.5 से 5 किलो सोडियम मालीबिडेट प्रति हेक्टर भूमि में मिला देना चाहिए अथवा खड़ी फसल में 0.05जे सोडियम मालीबिडेट घोल का पौधों पर छिड़काव करना चाहिए।

⑦ बटनिंग - बटनिंग की समस्या गोभी वर्गीय फसलों के कई कारणों से होती है जैसे अधिक उप्र के रोप के कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण या समय के अनुसार उचित किस्मों को लगाने से ऐसा होता है।

⑧ रेसीयनेस - रेसीयनेस के लक्षण मुख्यतः

⑨ लक्षण - फूलों का विकसित ना होकर छोटा रह जाना बटनिंग कहलाता है। इसमें फूलों का आकार छोटा हो जाता है तथा कम विकसित पत्तियाँ होती हैं।

⑩ उपचार - बटनिंग को रोकने के लिये अग्रेती या पिछेती किस्में अनुशंसित समय पर ही लगाएं, पौधे की वृद्धि चाहे वह नर्सरी में हो या खेत में नहीं रुकनी चाहिए। अधिक सिंचाई न करें। जो पौधा नर्सरी में अधिक दिन के हो उन्हें खेत में न लगाएं और नाइट्रोजन की उचित मात्रा पौधों को समय-समय पर दें।

⑪ रेसीयनेस - रेसीयनेस के लक्षण मुख्यतः

वातावरण में अनुकूल तापमान की कमी, अधिक नाइट्रोजन देने के कारण तथा अधिक आर्द्रता के कारण होती है।

⑫ लक्षण - समय से पूर्व अविकसित कली को रेसीयनेस करते हैं। इसमें फूल की ऊपरी सतह ढीली पड़ जाती है तथा सफेद छोटी कलिका बन जाती है।

⑬ उपचार - रेसीयनेस से उपचार के लिये उचित किस्म का चयन करें, समय पर पौधों की रोपाई करें, नाइट्रोजन की उचित मात्रा का प्रयोग करें तथा प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें।

⑭ अन्धता - अन्धता की गोभीवर्गीय फसलों से पौधों

की वृद्धि के शुरूआत मुख्य कलिका में कीट के प्रक्रोप के कारण तथा वातावरण में तापमान में कमी होने वाला पाला पड़ने के कारण होता है।

⑮ लक्षण - अन्धता में पौधे की मुख्य कलिका कीट के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा इसके पत्ते बड़े, चमड़े जैसे मोटे और गहरे रंग के हो जाते हैं।

⑯ उपचार - अन्धता की रोकथाम के लिए मुख्य कलिका को कीटों से क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, उचित किस्म का चयन करना चाहिए।

